कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 1397 /XXV-25/2025 देहरादून दिनांक 17 अगस्त, 2026

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 14 अगस्त, 2026 को अपरान्ह 04:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. श्री मनोज रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष/प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
2. श्री अमेन्द्र सिंह बिष्ट, प्रदेश सचिव/प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
3. श्री राजकुमार पुरोहित, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
4. श्री सत्यपाल, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
5. श्री अनन्त आकाश, सचिव/प्रतिनिधि, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी)।
6. श्री श्याम बाबू पाण्डेय, प्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी।

बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि, दिनांक 14 जुलाई, 2026 से 13 अगस्त, 2026 तक आलेख्य मतदाता सूची के सापेक्ष दावे तथ आपत्तियां प्राप्त की गयी, जिसका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की विधिक एवं प्रक्रियात्मक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से समझाने के उद्देश्य से निम्न अभिलेख/सामग्री उपलब्ध करायी गयी :–

1. दिनांक 14.07.2026 से 13.08.2026 तक प्राप्त Form–6, 7 एवं 8 का विवरण।
2. Representation of the People Act, 1950 की धारा 14 से 25 के उद्धरण।
3. Registration of Electors Rules, 1960 के Rule 16 से 23 के उद्धरण।
4. Manual on Electoral Rolls, 2023 — Chapter 11 |

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 14 जुलाई, 2026 से 13 अगस्त, 2026 तक राज्य में विभिन्न माध्यमों से कुल 2,83,890 दावे एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें लगभग फार्म–6 लगभग 1,28,000, फार्म–7 लगभग 1,07,000, फार्म–8 लगभग 47,000 कुल 2,83,890 दावे/आपत्तियां प्राप्त हुई है। प्राप्त फार्म–6, 7 एवं 8 को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है तथा नियमानुसार परीक्षण एवं निस्तारण की कार्रवाई की जानी है।

बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को Representation of the People Act, 1950 व Registration of Electors Rules, 1960 के सुसंगत भागों के साथ–साथ Rule Manual on Electoral Rolls, 2023 के Chapter–11 के प्रावधानों के आधार पर दावे/आपत्तियों के निस्तारण की निम्न प्रक्रिया विस्तारपूर्वक समझायी गयी–

- पैरा 11.3 – Claims & Objections: आलेख्य निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के उपरान्त निर्धारित अवधि में Form–6, Form–7 एवं Form–8 के माध्यम से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाती हैं।
- पैरा 11.3.1 – Period for Claims & Objections: दावे एवं आपत्तियां निर्धारित अवधि के भीतर ही प्राप्त की जाती हैं, जो उत्तराखण्ड राज्य में 14 जुलाई, 2026 से 13 अगस्त, 2026 तक थी।
- पैरा 11.3.2 – Manner of Lodging Claims & Objections: दावे/आपत्तियां निर्धारित प्रपत्र में ERO अथवा नामित अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से, डाक अथवा अनुमन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- पैरा 11.3.2(ii) – Bulk Applications: सामान्यतः व्यक्तिगत आवेदन ही स्वीकार किये जाने हैं। एक व्यक्ति द्वारा ऐसे अनेक व्यक्तियों की ओर से, जो एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं, प्रस्तुत किये

गये Bulk Applications / Objections के संबंध में Manual में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना है। BLA द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के संबंध में भी निर्धारित सीमा एवं सत्यापन प्रक्रिया का पालन किया जाना है।

- पैरा 11.3.2.1 – Preliminary Scrutiny: प्राप्त दावे / आपत्तियों की प्रारम्भिक जांच कर आवेदन की पूर्णता, हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान, आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य निर्धारित औपचारिकताओं की जांच की जाती है तथा प्राप्ति / अभिस्वीकृति प्रदान की जाती है।
- पैरा 11.3.3 – Maintenance of Lists: प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की निर्धारित सूचियां Form–9, 10, 11, 11A एवं 11B में तैयार कर संबंधित Notice ठवंतक पर प्रदर्शित की जाती हैं तथा ERO को उपलब्ध करायी जाती हैं।
- पैरा 11.3.4 – Digitization: प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार digitization किया जाता है तथा संबंधित सूचना / स्थिति को निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
- पैरा 11.3.5 – Political Parties: दावे एवं आपत्तियों की सूचियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध करायी जाती हैं, ताकि उनके द्वारा इनका परीक्षण किया जा सके।
- पैरा 11.3.6 – Disposal: दावे / आपत्तियों के निस्तारण से पूर्व निर्धारित 7 clear days की notice period पूर्ण होना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार संबंधित पक्षों को नोटिस, BLO द्वारा field verification तथा summary enquiry / hearing के पश्चात् प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।
- पैरा 11.3.7 – Final Decision: BLO की सत्यापन रिपोर्ट एवं आवश्यक सुनवाई / जांच के आधार पर ERO द्वारा प्रत्येक claim / objection पर अंतिम निर्णय लिया जाता है तथा निर्णय के कारण अभिलेखित किये जाते हैं।
- पैरा 11.3.8 – Communication of Order: claim/objection पर लिये गये निर्णय की सूचना संबंधित applicant/claimant को निर्धारित माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।
- पैरा 11.4 – Supervision & Checks: दावे / आपत्तियों के निस्तारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु BLO, Supervisor, AERO, ERO तथा उच्च स्तर पर निर्धारित field verification, test check एवं super checking की व्यवस्था है।
- पैरा 11.4.5 – Deletion Cases: अधिक संख्या में deletion अथवा एक ही व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में deletion objections प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों में ERO स्तर से विशेष cross–verification किया जाना है।
- पैरा 11.4.7 – Super Checking: DEO / ERO / अन्य सक्षम स्तरों द्वारा निर्धारित मामलों की super checking कर निस्तारण की गुणवत्ता एवं निर्वाचक नामावली की शुद्धता सुनिश्चित की जाती है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश No-23/2025-ERS (Vol-II) दिनांक 14 मई, 2026 के संलग्नक Annexure-I के निर्देश संख्या No-23/2025-ERS (Vol-II) दिनांक 24 जून, 2025 के बिन्दु संख्या–14 की ओर आकृर्षित करते हुए अवगत कराया गया कि– ERO / AERO आलेख्य निर्वाचक नामावली से किसी भी एंट्री को बिना जांच किए और संबंधित व्यक्तियों (जिनके नाम आलेख्य निर्वाचन नामावाली में हैं) को निष्पक्ष और उचित अवसर दिए बिना नहीं हटाएगा। अगर कोई व्यक्ति ERO के फ़ैसले से असंतुष्ट है, तो वह तय समय के भीतर RP एक्ट, 1950 की धारा 24(a) और RER, 1960 के नियम 27 के तहत ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) के पास अपील कर सकता है। अगर अपील करने वाला असंतुष्ट रहता है, तो DM के आदेश के 30 दिनों के भीतर RP एक्ट, 1950 की धारा 24(b) और RER, 1960 के नियम 27 के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास दूसरी अपील की जा सकती है।

बैठक में इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा मतदेय स्थलों पर फ़ॉर्म 9, 10, 11 और 11A और 11B की सूची चस्पा न किये जाने की शिकायत के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश No-23/2025-ERS (Vol-II) दिनांक 14 मई, 2026 के संलग्नक Annexure-B पर Detailed Guidelines For Special Intensive Revision के बिन्दु संख्या–6 दावों और आपत्तियों की सूची के प्रदर्शन के संबंध में अवगत कराया गया कि, सभी ERO, फ़ॉर्म 9, 10, 11 और 11A और 11B में दावों और आपत्तियों की सूची तैयार

हर कार्यदिवस पर अपने ऑफ़िस के नोटिस बोर्ड पर ऐसी सूचियों की एक कॉपी लगायेगें तथा प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की लिस्ट CEO की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी ताकि नागरिक लिस्ट देख सकें और अगर कोई आपत्ति हो, तो संबंधित ERO के पास दर्ज करा सकें। राज्य में आपत्तियों की लिस्ट CEO की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और अगर कोई लिस्ट में किसी दावे के बारे में आपत्ति उठाना चाहता है, तो वह ERO को दे सकता है। इसके अतिरिकत ERO को प्रत्येक सप्ताह में राजनीतिक दलों के साथ दावों और आपत्तियों की लिस्ट साझा करेगें। इसके लिए नियमित अंतराल पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से दावों और आपत्तियों की सूची उपलब्ध कराते हुए पावती (Acknowledgement) प्राप्त करेगें।

उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण केवल प्राप्त आवेदन के आधार पर न करते हुए, आवश्यकतानुसार दस्तावेजी परीक्षण, क्षेत्रीय सत्यापन एवं सुनवाई के पश्चात् विधिसम्मत एवं कारणयुक्त आदेश द्वारा किया जाना है। इस प्रक्रिया में निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विधिसम्मत प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजनैतिक दलों से अपने Booth Level Agents को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अन्तर्गत आलेख्य प्रकाशन के बाद दावे एवं आपत्तियों का चरण निर्वाचक नामावली की शुद्धता सुनिश्चित करने का अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण है, इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा विगत एक वर्ष से सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से आग्रह किया जाता रहा है कि वह प्रत्येक मतदेय स्थल हेतु अपने–अपने Booth Level Agents नियुक्त करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने Booth Level Agents को सक्रिय करें और दावे/आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में रचनात्मक एवं तथ्यपरक सहयोग प्रदान करें।

बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त जानकारी को उपयोगी बताते हुए निर्वाचन नामावली के शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित निर्माण हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने की आश्वासन दिया गया। अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा सभी उपस्थित प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 1397/ XXV-25/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रदेश अध्यक्ष/महासचिव/सचिव, मान्यता प्राप्त समस्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यालय प्रति।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जुलाई, 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण–2026, दावे/आपत्तियों के निस्तारण प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 14 अगस्त, 2026 को अपरान्ह 04:00 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की उपस्थिति

उपस्थित प्रतिनिधियों को निम्न सूचनाएं/सामग्री उपलब्ध करायी गयी :–

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 से 25 तक के उद्धरण।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के नियम 1 से 27 तक के उद्धरण।
3. Manual on Electoral Roll, 2023 का अध्याय 11
4. दिनांक 14 जुलाई, 2026 से 13 अगस्त, 2026 तक प्राप्त दावे/आपत्तियों का विवरण।

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	दल सम्बद्धता	मोबाईल नम्बर	ईमेल आई.डी.	उपस्थिति/ प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर
1	श्याम बाबू पाण्डेय	आम आदमी पार्टी	9411110685	shyambabu17@gmail.com	[signature]
2	रामपाल	ब.स.पा	9412059284		[signature]
3	[illegible]	CPI(M)	9410365899		[signature]
4	अमरेन्द्र बिष्ट	कांग्रेस	8979132677	[illegible]@gmail.co	[signature]
5	मनोज रावत	INC	8393039229	[illegible]	[signature]
6	राजकुमार पुरोहित	BJP	9412976332		[signature]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

सत्यमेव जयते
L OFFICER
AND

Today Google Meet Regard
Meet – iud-kqqt-hei
ECI Unified Portal
Home Page
Ask Gemini
meet.google.com/iud-kqqt-hei
15:05 | iud-kqqt-hei
18
tehsil ranikhet
NIC Almora
N
NIC Champawat
Vivek rai
UK-BAGESHWAR
Collectorate Udham S...
DM Rudraprayag
DM Nainital
ADM UTTARKASHI
district magistrate utt...
DM PITHORAGARH
D
4 others
Chief Electoral Offic...
People
Add people
Search for people
IN THE MEETING
Contributors 18
Chief Electoral O... (You)
Meeting host
A
ADM UTTARKASHI
C
Collectorate Udham Sin...
Type here to search
30°C Light rain
ENG
3:05 PM
8/17/2026

CHIEF ELECTORAL OFFICER
UTTARAKHAND